

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1642/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022

लखनऊ : दिनांक 26 जुलाई, 2025

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे आपसे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 1639/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2022, दिनांक 26 जुलाई, 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा का वर्ष 2025 का द्वितीय सत्र दिनांक 11 अगस्त, 2025 से आहूत किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (सोलहवां संस्करण) के निदेश संख्या-6 के अनुसार सत्र में उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को संकल्प तथा उसके बाद उपलब्ध होने वाले द्वितीय असरकारी दिवस को असरकारी विधेयक लिये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त, 2025 को उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को लिये जाने वाले संकल्पों हेतु शलाका गुरुवार, दिनांक 07 अगस्त, 2025 को तथा दिनांक 29 अगस्त, 2025 को उपलब्ध होने वाले द्वितीय असरकारी दिवस को लिये जाने वाले असरकारी विधेयकों हेतु शलाका गुरुवार, दिनांक 14 अगस्त, 2025 को अपराह्न 4:30 बजे प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में की जायेगी। असरकारी संकल्पों/विधेयकों हेतु की जाने वाली शलाका के लिये सूचनाएं क्रमशः दिनांक 07 व 14 अगस्त, 2025 को अपराह्न 4:00 बजे तक दी जा सकेंगी। शलाका के समय कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित रह सकेंगे।

अतएव, आप यदि चाहें तो, अपने असरकारी संकल्प/विधेयक की सूचनाएं क्रमशः दिनांक 07 व 14 अगस्त, 2025 को अपराह्न 4:00 बजे तक इस सचिवालय में दे सकते हैं। उक्त शलाका के लिये किसी सदस्य से प्राप्त एक से अधिक असरकारी संकल्प/विधेयक की सूचना ग्राह्य नहीं की जायेगी।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1642(1)/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बिपेन्द्र कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव।